न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 37 / 13 (146 / 2003) अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. सरूपी पुत्री महादेव उर्फ माधो पत्नि रतनसिंह जाति जाट
निवासी ग्राम बीरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

:––––––अपीलांट

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र श्योनारायण जाति जाट
2. रामपत पुत्र श्योनारायण जाति जाट
3. रघुवीर पुत्र श्योनारायण जाति जाट
4. रमेश पुत्र श्योनारायण जाति जाट
5. राजेन्द्रसिंह पुत्र शक्तिसिंह जाति जाट नाबालिग
6. सुमन पुत्री शक्तिसिंह जाति जाट नाबालिग
   जर्ये माता सरपरस्त निर्मला पत्नि शक्तिसिंह जाट
7. निर्मला पत्नि शक्तिसिंह जाति जाट
8. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर
9. राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर अलवर

:–– असल रेस्पो0

10. धनकौर पुत्री महादेव उर्फ माधो पत्नि रामहेत जाति जाट
    निवासी ग्राम बीरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

11. लायकराम पुत्र मंगल जाति जाट

12. रामपत पुत्र मंगलराम जाति अहीर निवासीयान ग्राम पलावा तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

13. सरजीतसिंह पुत्र महासिंह जाति जाट निवासी ग्राम बीरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

:–– तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर

दिनांक 28.10.2003

उपस्थित :–

1. वकील अपीलांट :–श्री महेन्द्रसिंह यादव
2. वकील असल रेस्पो0 :–श्री जनार्दन शर्मा,ओमानंद चौधरी

निर्णय दिनांक 10.11.2016

---

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा मुकदमा नम्बर 31/2003 उनवान लक्ष्मण बनाम सरूपी में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2003 के विरूद्ध है, जिस निर्णय के द्वारा वादी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट स्वकार किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी ने तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 606 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 607 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा, 608 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा, 609 रकबा 15 बिस्वा, 616 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा, 617 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा, 618 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 530 रकबा 10 बिस्वा, 531 रकबा 10 बिस्वा, 532 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा किता 3 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम बिरोद तहसील मुण्डावर जिला पक्षकारान के बुजुर्गो श्योनारायण एवं मंगल की थी । उनके देहान्त के बाद उनकी विरासत प्रार्थीगण को प्राप्त हुई । विवादित आराजी को वादीगण के पिताओं ने दिनांक 25.5.54 को अप्रार्थीगण के पिता माधोसिंह के पास रहन रख दी थी और बाद में प्रार्थीगण के

Scanned by CamScanner

पिता ने माधोसिंह को रकम रहन अदा करके आराजी को रहन फक करा ली थी । कानूनन 5 साल बाद रहन स्वतः ही फक हो जाता है । इस प्रकार रहन फक हो जाने के बाद आराजी से माधोसिंह अथवा उसके वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का कोई सरोकार नहीं रहा । परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने रहन फक का इन्द्राज नहीं किया गया और राजस्व रिकार्ड में रहन एवं मूर्तहन का इन्द्राज चला आ रहा है । आराजी पर हमारा ही कब्जा चला आ रहा है । गलत इन्द्राज की आड में अप्रार्थीगण हमको बेदखल करने पर उतारू है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट स्वीकार किया गया है,जिसकी यह अपील है ।

3. विद्वान वकील अप्रार्थी अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि श्योनारायण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड रहननामा कब्जा सहित रहन रखी थी तथा रहन का इन्द्राज भी राजस्व रेकार्ड में मौजूद है । आराजी अभी रहन फक नहीं हुई है । स्वयं रेस्पो0 लक्ष्मण ने एवं तहत न्यायालय ने माना है कि कब्जा हम अपीलांट का ही है । टी0 आई0 के लिये कब्जा महत्वपूर्ण होता है । जब इनका कोई कब्जा ही नहीं है तो फिर इनके पक्ष में टी0 आई0 कैसे जारी कर दी । खुद रेस्पो0 लक्ष्मण ने रहन फक का दावा कर रखा है,इससे भी सिद्ध है कि आराजी अभी फक नहीं हुई है । बिना कब्जे के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, जैसा कि 2012 (1) आर0 आर0 टी0 पेज 358 में प्रतिपादित किया गया है । धारा 212 के तीनों बिन्दू हमारे पक्ष में है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4. जवाब में विद्वान वकील प्रार्थी रेस्पो0 का कथन है कि रहन बाकब्जा नहीं रखी थी । कब्जा हमारे पास ही है । रहन की रकम अदा कर दी गई थी । कानूनन 5 साल बाद रहन स्वतः ही फक हो जाता है । परन्तु राजस्व रेकार्ड में यह इन्द्राज कलमजन नहीं किया गया है,इसलिये हमने दावा किया । कब्जा हमारे पास होने से प्राईमाफेसी केस हमारे पक्ष में है । अन्य बिन्दू सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति भी हमारे पक्ष में है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थीगण रेस्पो0 के पिता श्योनारायण ने अप्रार्थीगण अपीलांटस के पिता माधोसिंह के यहां भूमि रहन रखी थी,जिसे स्वयं प्रतिवादी नम्बर 02 ने स्वीकार किया है । साथ ही उन्होंने अपने जवाब दावा में यह भी स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण वादीगण का भूमि पर कब्जा है । प्रस्तुत अपील धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय के विरूद्ध है, जिसमें पक्षकारों के हक हकूकों का निर्धारण नहीं होता है । विवादित भूमि रहन फक हुई है अथवा नहीं है, रहन के आधार पर अप्रार्थी का वर्तमान में कोई अधिकार बनता है अथवा नहीं, आदि प्रश्नों का निर्धारण मूल में तय होना है । हम यहां धारा 212 के प्रार्थना का निस्तारण कर रहे हैं । धारा 212 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने

Scanned by CamScanner

हेतु तीन बिन्दुओं प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति को देखना होता है ।

1. प्रथमदृष्टया मामला :- चूंकि प्रतिवादी अप्रार्थी स्वयं ने अपने जवाब दावा में यह स्वीकार किया है कि आराजी पर वादी प्रार्थी का ही कब्जा है । अतः वादी प्रार्थी रेस्पो0 का आराजी पर कब्जा होने की स्थिति में प्राईमाफेसी केस उसके पक्ष में बनता है । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि जिसके पक्ष में कब्जा हो उसके पक्ष में टी0 आई0 जारी करना न्यायसंगत है । टी0 आई0 की आड में कब्जेधारी को बेदखल नहीं किया जा सकता ।

2. सुविधा का सन्तुलन :- चूंकि विवादित आराजी पर वादी प्रार्थी रेस्पो0 का कब्जा है । अगर उसके पक्ष में टी0 आई0 जारी नहीं की जाती है तो उसको बेदखल किये जाने का अंदेशा है । बेदखल किये जाने की स्थिति में उसे असुविधा होगी अर्थात सुविधा का सन्तुलन भी वादी प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में बनता है ।

3. अपूर्णनीय क्षति :- कब्जेधारी को बेदखल किये जाने अथवा उसके कब्जे काश्त मजाहमत किये जाने की स्थिति में उसे भारी नुकसान होगा अर्थात अपूर्णनीय क्षति भी वादी रेस्पो0 के पक्ष में है ।

इस प्रकार धारा 212 के तीनों बिन्दु वादी प्रार्थी रेस्पो0 के पक्ष में होने से हम विद्वान तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं ।

4. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर विद्वान तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2003 यथावत रखा जाता है ।

5. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत पत्रावली लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(मंजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner